संरक्षा शाखा
सोलापुर मंडल

Safety Branch
Solapur Division

संरक्षा परिपत्र
Safety Circular
02/2021-22

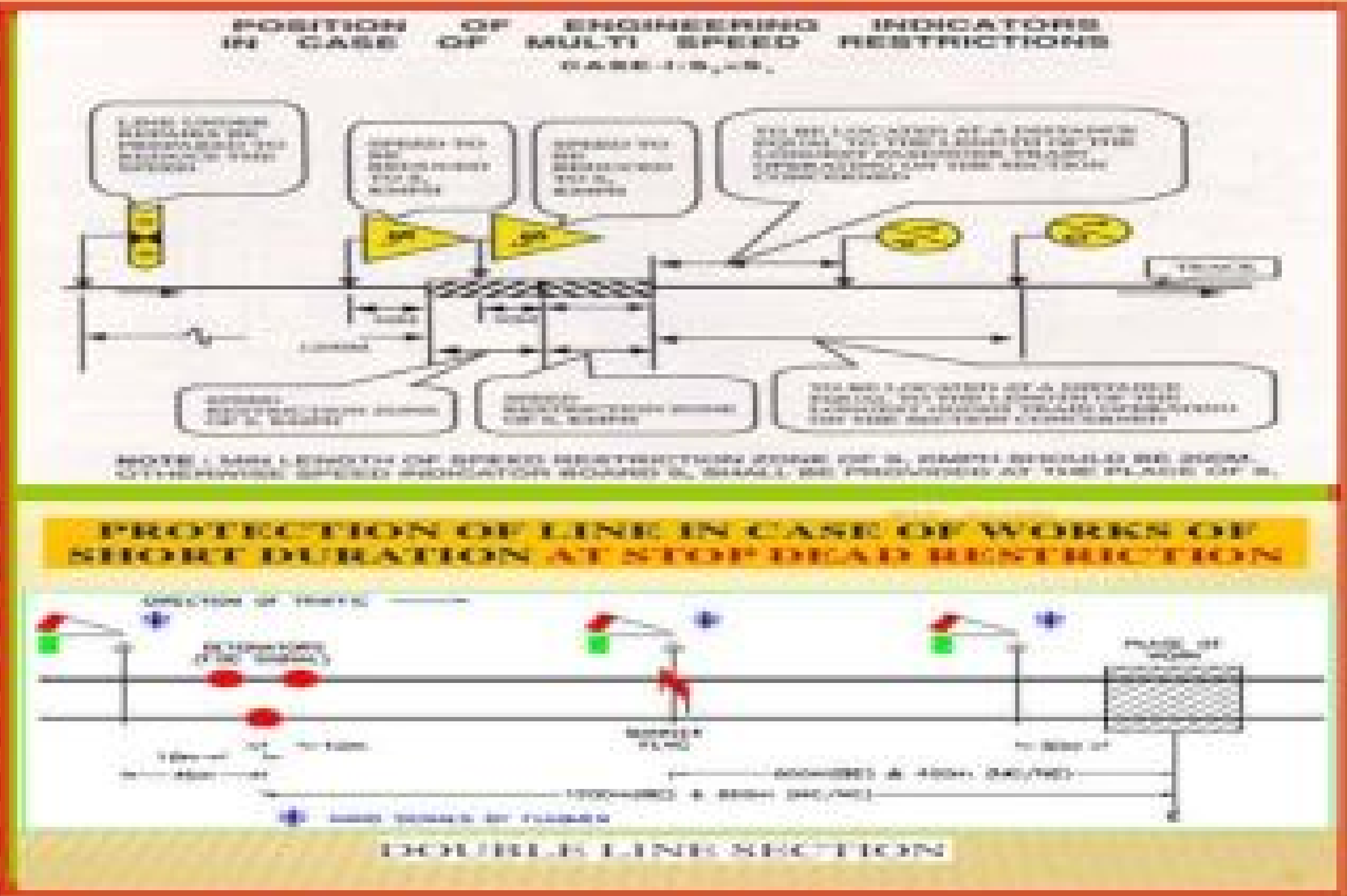

विषय : इंजीनियर कार्य स्थलों पर संरक्षा बरते जाने वाले पूर्वोपाय ।

Sub:- Safety at Engineering work sites – Precautions to be taken.

दिनांक/Date : 26.04.2021

Scanned with CamScanner

मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
संरक्षा शाखा सोलापूर.

संख्या : सोला / एसएफटी /एस/103

दिनांक : 26.04.21.

<u>संरक्षा परिपत्र संख्या : - 02/2021-22</u>

सभी संबंधित - सोलापुर मंडल

विषय:- इंजीनियरी कार्य स्थलों पर बरते जाने वाले संरक्षा पूर्वोपाय ।

<u>संपूर्ण ब्लॉक सुरक्षा की आवश्यकता के कार्य</u> :-

क) <u>ट्रैक ऑक्युपाय की आवश्यकता के कार्यों की श्रेणी</u> :-

क) ट्रैक मशीनों का कार्य संचालन / ट्रैक मशीनों पर कार्य

ख) सामग्री गाड़ी या गर्डर विशेष का संचालन

ग) डीप - लॉरियों का संचालन

घ) मोटर ट्रॉलीयों का संचालन

ख) <u>ट्रैक में अन्तर (डीसकंटिन्यूटी) के कार्यों की श्रेणी</u> :-

1 ट्रैक में अन्तर (डीसकंटिन्यूटी) उत्पन्न किया जाता है।

2 परिणामस्वरुप रनिंग ट्रैक में अन्तर (डीसकंटिन्यूटी) उत्पन्न हो जाने पर

क) थ्रू रेल नवीकरण

ख) नैमित्तिक रेल नवीकरण

ग) एस ई जे / बफर रेल बदलना

घ) ग्लूड ज्वाइंट बदलना / इनसर्ट करना

ड़) रेल फ्रैक्चरों का अस्थायी / स्थायी मरम्मत

च) बकलिंग की स्थायी/ अस्थायी मरम्मत

छ) स्विच / क्रॉसिंग या टर्नआउट का कोई पुर्जा बदलना

ज) एल डब्ल्यू आर का डी-स्ट्रेसिंग

झ) रेलों का स्वस्थाने वेल्डिंग

ट) एन्ड क्रॉपिंग एवं वेल्डिंग

ठ) ब्रिज स्लीपरों का (थ्रू) संपूर्ण नवीकरण

ड) स्लैब सहित गर्डर बदलना

ढ) अन्य किसी उद्देश्य से ट्रैक से रेल निकालना

Scanned with CamScanner

ब्लॉक के बिना परंतु उचित गति प्रतिबंधक लागू करते हुए कार्य(पर्याप्त सुरक्षा एवं अन्य संरक्षा उपयों सहित)

क) थ्रू (संपूर्ण) स्लीपर नवीकरण

ख) डीप स्कीनिंग

ग) ट्रैक को ऊपर उठाना / नीचे रखना

घ) कर्वो (घुमावों) का रीअलाइनमेंट (पुन: बनाना)

ङ) स्वस्थाने प्वाइंट एवं क्रॉसिंग्ज का मरम्मत करना

च) डी - स्ट्रेसिंग के पहले एवं बाद में संचालन

छ) क्रीप का एडजस्टमेंट (समायोजन)

ज) एस डब्ल्यू आर में गैप का एडजस्टमेंट (समायोजन)

झ) टनेल (बोगदा) में स्लीपर का नैमित्तिक नवीकरण

ट) गैंग द्वारा रेल ज्वाइंटों का लूब्रिकेशन

ठ) समपार फाटकों का बड़ा ओवर हॉलिंग

ब्लॉक के बिना एवं कोई गति प्रतिबंधक के बिना कार्य :-

क) सतर्कता आदेश की ओर ध्यान देने की आवश्यकता के कार्य :- ओ इ एच एस (पर्याप्त सुरक्षा एवं संरक्षा उपयों सहित)

क) रेल डॉली का संचालन

ख) बड़े पैमाने पर मजदूर / शोर / धूल स्थितियों के कारण प्रतिबंधित दृश्यता शामिल कार्य, जैसे कि - बी सी एन के संचालन में - निकटवर्ती लाइन पर गुजरने वाले गाड़ियों को सतर्कता आदेश जारी किया जाए।

ग) ब्रिज स्लीपरों को नैमितिक रुप से बदलना

घ) गर्डर ब्रिज पर गार्ड रेल बदलना

ङ) गर्डर ब्रिजों पर लूज रिवेटों को बदलना

च) ब्रिज गर्डर की पेंटिंग

छ) इंजिन से चलनेवाली रेल ड्रीलींग मशीन का संचलन

ख) कोई सतर्कता आदेश की आवश्यकता न होने के कार्य (पर्याप्त सुरक्षा एवं संरक्षा उपयों सहित)

क) थ्रू पैकिंग

ख) शॅलो स्क्रीनिंग

ग) स्लीपरों को नैमितिक रुप से बदलना

घ) आइसोलेटेड फिश प्लेटों को बदलना

ङ) रेल एवं वेल्डों की पेंटिंग

च) फिटिंग्ज की ऑयलिंग

छ) यू एस एफ डी का संचालन

ज) हाथ से संचालित राचेट के जरिये रेल में सुराक(होल)की ड्रीलिंग

झ) सेस की मरम्मत

ट) की मैन द्वारा रेल ज्वाइंटों की लूब्रिकेशन

ठ) समपार फाटकों के लघु / छोटे ओवर हॉलिंग

Scanned with CamScanner

कार्य करते समय जांच हेतु चेक लिस्ट

1) ट्रैक एवं कार्य स्थल के संरक्षा के संबंध में पर्यवेक्षक को संतोषजनक जानकारी है ?
2) पर्याप्त संरक्षा उपाय किए गए हैं ?
3) स्थल पर संचार व्यवस्थाएं (वॉकी – टॉकी सेट) उपलब्ध हैं ?
4) स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हैं ?
5) गाड़ियों को सतर्कता आदेश जारी किया जा रहा है ?
6) लागू अस्थायी गति प्रतिबंधों का ड्राइवरों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है ?
7) विद्युतीकृत क्षेत्र / स्टेशन यार्ड (पी एंड सी एरिया) में कार्य करने हेतु कार्य अनुज्ञा ली गई है ?

(यातायात) ट्रैफिक ब्लॉक की आवश्यकता हेतु कार्य के कार्यान्वयन के समय बरते जाने वाले आवश्यक सावधानियां :-

1) कोई भी कार्य जिसमें चल (गतिमान) आयाम के उल्लंघन की स्थिति में ट्रैफिक ब्लॉक एवं ट्रैक सुरक्षित किए जाने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाए।
2) स्थानों जहां पर रात्रि में कार्य करने की अनिवार्य परिस्थितियों में उचित प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए।
3) कार्य समाप्त करने से पहले, ट्रैक सही ज्यामिति (जिऑमीट्रि) के साथ होंनी चाहिए जिससे गाडियों का संचालन सुरक्षित रुप से किया जा सके।
4) कार्य पूरा होने के बाद रीलिज स्लीपर्स एवं फिटिंग्ज को ट्रैक से ठीक तरह से ढेर संग्रहण लगाया जाना चाहिए एवं चल आयाम से मुक्त (क्लियर) किया जाना चाहिए।
5) सभी अस्थायी प्रबंधों - मशीनरी सामग्री औजार, संयंत्र आदि मानक चल आयमों से क्लियर रखने के बाद ही ब्लॉक को हटाया जाए।

रेलवे ट्रैक के समानान्तर सामग्री का ढेर (संग्रहण)

1) अग्रिम में सामग्री के संग्रहण के लिए स्थान का चयन किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि संग्रहण सामग्री का कोई भी भाग इन मानक चल आयामों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तावित संग्रहण स्थानों का आरेख तैयार किया जाए और उस पर ठेकेदारों के प्रतिनिधि एवं प्राधिकृत रेलवे प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रुप से हस्ताक्षर किया जाना चाहिए
2) चयनित स्थानों को अग्रिम में चूना द्वारा अंकित किया जाना चाहिए।
3) अनलोड़िंग एवं स्टैकिंग (संग्रहण) सामग्री के समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रेलवे के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो।
4) सामग्री उव ऊँचाई तक संग्रहण किया जाना चाहिए जिससे कि आकस्मिक रुप से रोल ऑफ के मामले में एस ओ डी का उल्लंघन नहीं होगा।

(सुरेश कुमार एन टी)
वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी सोलापुर

Scanned with CamScanner